न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 37/2019 दायरा दिनांक : 27.03.2019

उनवान

1– नाथूलाल पुत्र बिशनलाल, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

2– कन्हैया लाल पुत्र चंदालाल, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

3– बृजमोहन पुत्र चंदालाल, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

4– जानकीलाल पुत्र चंदालाल, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

5– बादाम बाई पुत्री चंदालाल, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

6– रामजानकीबाई पुत्री चंदालाल, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

7– भैरूबाई बेवा चंदालाल, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– लोकेश कुमार पुत्र रामेश्वर, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

2– हरिश कुमार पुत्र रामेश्वर, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

3– जगदीश पुत्र धन्नालाल, जाति धाकड निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.06.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारं के प्रकरण संख्या – 114/2016 निर्णय दिनांक 11.02.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए का पेश किया कि ग्राम मण्डोला की आराजी खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 2512 रकबा 2.70 हेक्टर पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 2513 व 2501, 2514, 2498, 2497 की मेड पर होकर आते जाते हैं इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । रास्ता कायम करने के अधिकारी है इसके लिये अप्रार्थीगण के खाते की जितनी भूमि जायेगी उस भूमि की डी एल सी रेट से दुगनी राशि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को देने को तैयार है । यह राशि अप्रार्थीगण को दी जावे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई डी एल सी निर्धारित किये उक्त निर्णय पारित किया गया है जो सर्वथा विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने से

निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रचलित नक्शा ग्राम मण्डोला में बालकिशन नागर के मकान के पास से आम रोड से पूर्वी दिश की ओर से कचोली तलाई के खसरा नम्बर 2508 से होता हुआ रेस्पोडेंट प्रार्थीगण के खेत तक जाता है और रेस्पोडेंटगण/प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही तथा वर्तमान में बिना किसी रूकावट के उसी रास्ता का उपयोग करते चले आ रहे हैं व आज भी उसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं । जानबूझकर अपीलांटगण को परेशान करने के उदेश्य से नया रास्ता लेने का गलत रूप से दबाव बनाकर प्रयास किया जा रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो सर्वथा विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सर्वथा विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिया गया है। पत्रावली उभयपक्षकारान की आपसी सहमति नहीं होने से लोक अदालत में निर्णीत नहीं होकर नियमित सुनवाई में निर्णीत की गई है । अतः अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है । अपीलांट ने प्रथम दृष्टया अपील में भी कोई नया तथ्य अपने पक्ष के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा